

प्रचित किया जाये। पञ्चायती कायदा
द्वारा अध्याय को पेश हो

(Signature)

२२/०
म पञ्चायती सचिव। कठिल वारी उपाय
पुके आदेशानुसार पञ्चायती कायदा जिसे
२३/११ को पेश हो

२३/११
म पञ्चायती सचिव। कठिल वारी कठिल
न्यायालय के द्वारा पुकारे जाने पर
ना तो वारी ना ही कठिल वारी न्यायालय
के समक्ष उपस्थित हों। अतः सफल
पञ्चायती रूप में ही कठिल वारी में
स्थापित किया जाता है। पञ्चायती कायदा
निष्पन्नानुसार कठिल वारी के लिये
ले का है।

(Signature)

